



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126726

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 99 वर्ष 2026

ईशम सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अश्वनी कुमार, सती शंकर त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक ने विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- 7, मथुरा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या- 342 वर्ष 2025 से उद्भूत प्रकीर्ण आवेदन संख्या- 769 वर्ष 2025 अंतर्गत धारा 8/18/20/29/60 एनडीपीएस अधिनियम थाना जैत, जिला मथुरा में पारित आदेश दिनांक 30.09.2025 को निरस्त करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा मारुति सियाज वाहन संख्या- एचआर-07 वी-1801 (चेसिस संख्या- एमए3एफएक्सईबीएस00156692, इंजन संख्या- डी13ए2616719) को मुक्त करने का आवेदन खारिज कर दिया गया था।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ईशम सिंह मारुति सियाज संख्या- एचआर-07 वी-1801 का स्वामी है। उक्त वाहन को पुलिस द्वारा इस आधार पर जब्त किया गया था कि वाहन की डिग्गी में रखा 100 ग्राम चरस और 1-1 किलोग्राम के अफीम के 3 पैकेट उक्त वाहन से बरामद किए गए थे। परिणामस्वरूप, आवेदक ने उक्त वाहन को मुक्त करने के लिए विद्वान विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- 7, मथुरा के समक्ष निर्मुक्ति आवेदन दाखिल किया था, परंतु विचारण न्यायालय ने उक्त वाहन को मुक्त करने से इनकार करते हुए आदेश दिनांक 30.09.2025 द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय, विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का उचित मूल्यांकन नहीं किया और बिना अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। आवेदक कथित मुकदमा अपराध में अभियुक्त नहीं है और न ही उसने आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध किया है, यहाँ तक कि उक्त वाहन का उपयोग कभी किसी अवैध गतिविधि के लिए नहीं किया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि जब तक जब्त वाहन को आवेदक के पक्ष में मुक्त नहीं किया जाता है, तब तक उसके हितों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और विचारण के लंबित रहने के दौरान वाहन को पुलिस स्टेशन में निरुद्ध रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है, अतः आवेदक वाहन को मुक्त कराने के लिए प्रतिभूतियां देने को तैयार है।

5. अपने तर्कों के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बिस्वजीत डे बनाम असम राज्य (एससी)**, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या- 13370 वर्ष 2024 से उद्भूत आपराधिक अपील संख्या- 87 वर्ष 2025, निर्णय दिनांक 07.01.2025 और **सुंदर भाई अंबा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, 2003 (46) एससी 223** के मामलों में दिए गए निर्णयों पर अवलम्ब लिया है।

6. मैंने आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया है। आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि यह धारा 457 सीआरपीसी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, जिसके तहत यह

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रावधान है कि न्यायालय उक्त धारा के अंतर्गत कब्जे की पात्रता के प्रश्न का निर्धारण करेगा। इस मामले में यह विवाद नहीं है कि आवेदक स्वामी होने के नाते उपरोक्त वाहन का कब्जा पाने का हकदार था। उक्त वाहन के स्वामित्व पर बिल्कुल भी कोई विवाद नहीं था। परिणामस्वरूप, एक बार जब निचली अदालत के समक्ष उक्त वाहन को मुक्त करने की प्रार्थना की गई थी, तो न्यायालय को केवल कब्जे की पात्रता के प्रश्न पर विचार करना चाहिए था।

7. **बिस्वजीत डे (उपरोक्त)** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"22. इस न्यायालय का यह भी मत है कि मादक पदार्थ या मनःप्रभावी सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग किए गए किसी भी जब्त वाहन को आपराधिक मामले के निस्तारण के लंबित रहने के दौरान अंतरिम रूप से वापस करने के लिए एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई विशिष्ट रोक/प्रतिबंध नहीं है।

23. एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत किसी विशिष्ट रोक के अभाव में और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 51 के आलोक में, न्यायालय आपराधिक मामले के अंतिम निर्णय के लंबित रहने तक जब्त वाहन की वापसी के लिए सीआरपीसी की धारा 451 और 457 के तहत सामान्य शक्ति का प्रयोग कर सकता है। परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय के पास अंतरिम रूप से वाहन को रिलीज करने का विवेक है। हालांकि, इस शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कानून के दायरे में करना होगा।"

8. **सुंदर भाई अंबा लाल देसाई (उपरोक्त)** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 14 और 15 में जो माना है, उसे नीचे पुनःउद्धृत किया जा रहा है:

"14. हमारे विचार में, परिस्थिति चाहे जो भी हो, जब्त वाहनों को लंबे समय तक पुलिस थानों में रखना किसी काम का नहीं है। यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर उक्त वाहनों की वापसी के लिए उचित बंधपत्र, गारंटी और

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुरक्षा लेकर तुरंत उचित आदेश पारित करे। यह कार्य ऐसे वाहनों की वापसी के आवेदनों पर सुनवाई लंबित रहने के दौरान किया जा सकता है।

15. उस मामले में जहाँ अभियुक्त, स्वामी या बीमा कंपनी या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा वाहन पर दावा नहीं किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा ऐसे वाहन को नीलाम करने का आदेश दिया जा सकता है। यदि उक्त वाहन का बीमा कंपनी से बीमा कराया गया है, तो न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी को उस वाहन का कब्जा लेने के लिए सूचित किया जाए जिस पर स्वामी या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया गया है। यदि बीमा कंपनी कब्जा लेने में विफल रहती है, तो न्यायालय के निर्देशानुसार वाहनों को बेचा जा सकता है। न्यायालय अदालत के समक्ष उक्त वाहन को पेश किए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा। किसी भी स्थिति में, ऐसे वाहनों का कब्जा सौंपने से पहले, उक्त वाहन की उचित तस्वीरें ली जानी चाहिए और एक विस्तृत पंचनामा तैयार किया जाना चाहिए।"

9. उपरोक्त उल्लिखित मामलों में प्रतिपादित कानून पर विचार करते हुए, उक्त दृष्टिकोण निश्चित रूप से आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का समर्थन करता है कि वाहन को पुलिस स्टेशन में ही निरुद्ध रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

10. पूर्वोक्त चर्चा के आलोक में, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत वर्तमान आवेदन इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि वाहन अर्थात् मारुति सियाज संख्या- एचआर-07 वी-1801 को निम्नलिखित शर्तों के अधीन तुरंत आवेदक के पक्ष में मुक्त किया जाएगा:-

(i) आवेदक संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र और बीमा के कागजात प्रस्तुत करेगा, जिनका ठीक से सत्यापन किया जाएगा और उनकी सत्यापित प्रतियां रखी जाएंगी।

(ii) आवेदक संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार दो शोधनक्षम प्रतिभुओं के साथ एक बंधपत्र निष्पादित करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक विचारण की समाप्ति तक वाहन का हर समय बीमा चालू रखेगा और विचारण न्यायालय के समक्ष आवश्यकता पड़ने पर बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा; उसे न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि वह वाहन का पंजीकृत स्वामी है।

(iv) आवेदक वाहन का रंग या इंजन और चेसिस नंबर का कोई भी हिस्सा नहीं बदलेगा।

(v) आवेदक वाहन को न्यायालय के समक्ष या ऐसे अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा जैसा न्यायालय निर्देश दे।

(vi) आवेदक मामले के निस्तारण तक न तो वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित करेगा और न ही इसके कब्जे से अलग होगा।

(vii) आवेदक वाहन का उपयोग किसी भी अपराध कारित करने में नहीं होने देगा।

11. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत वर्तमान याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

11 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।